>

Title: Need to give compensation to farmers whose lands are water drowned due to Tsunami in Andaman and Nicorbar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, दिसम्बर, 2004 में अण्डमान-निकोबाद में सुनामी आयी थी। आठ साल से किसानों की जमीन डूबी हुई है। किसानों ने बार-बार सरकार से मांग की और मैंने भी इस बात को लोक सभा में भी उठाया था। हमने उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपको रुपया दिया जाएगा। यह प्राकृतिक आपदा है, इसलिए आपको जमीन नहीं ली जाएगी, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू जमीन की कमी है, बाकी जमीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। हाल ही में 22 जनवरी को देश के आदरणीय गृह मंत्री जी अण्डमान-निकोबार के दौर पर आए थे। सीपी घाट में किसान लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा था कि यह प्राकृतिक आपदा है इसलिए आपको जमीन का मुआवजा दिया जाएगा और किसानों की डूबी हुई जमीन प्रशासन एक्वायर नहीं करेगी तथा किसानों को जमीन सरैन्डर नहीं करनी पड़ेगी, केवल मुआवजा दिया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कांग्रेस ऑफिस में गृह मंत्री गए थे और कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने मीटिंग में कहा था कि सुनामी एक नैचुरल डिजास्टर है, इसलिए बिना जमीन लेकर मुआवजा दिया जाएगा। 22 जनवरी, 2012 को राजनिवास में प्रेस कांफ्रेंस में गृह मंत्री, उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह की उपस्थिति में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि किसानों की डूबी हुई जमीन न लेकर मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि यह एक नैचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। यह प्रेस काफ्रेंस की गृह मंत्री की स्टेटमेंट द डेली टेलीग्राम्स अण्डमान-निकोबार प्रशासन की एक सरकारी पत्रिका मे छपा है। इस पत्रिका में गृह मंत्री जी का स्टेटमेंटट आया है- Government is providing compensation for the natural disaster. The same can be paid here. उन्होंने कहा कि अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जमीन वन विभाग के पास है और वह जमीन किसानों को बांटना संभव नहीं है। वन की जमीन रिहेब्लीटेशन, अल्टरनेट लैण्ड के लिए जमीन मिलना संभव नहीं है। इसलिए प्राकृतिक आपदा के नाम पर भुगतान दिया जाएगा। किसानों ने यही मांग की और उपराज्यपाल महोदय न यही बात बार-बार दोहरायी। लेकिन सरकार ने अब पलटी खायी और सरकार कहती है कि किसान भाई तुम जमीन सरैंडर करो, तब तुम्हें रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे! एक हेक्टेयर जमीन की कीमत देंगे 9 लाख 39 हजार रुपए और किसानों को अपनी जमीन प्रशासन के पास सरैंडर करनी होगी। सुनामी के बाद लोगों के घर और दुकानें समाप्त हो गईं। घर, बिजनेस और गाड़ी का लोन माफ कर दिया गया। लेकिन दुकान, घर और अनाज वापस नहीं लिया। परमानेंट सुनामी शेल्टर जिन परिवारों को मिला है, उन्हीं परिवारों को पहले टैम्परारी शेल्टर दिया गया था और टैम्परारी शेल्टर की कीमती टीन, पोस्ट, दीवार का टीन, जिनकी करीब तीन-चार लाख रुपए कीमत होगी, उनको मुफ्त में दे दिया गया। कांग्रेस सरकार किसानों को बोल रही है कि जमीन सरैंडर करो तो 9 लाख 39 हजार रुपए एक हेक्टेयर के लिए दिए जाएंगे। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को पोर्ट ब्लेयर का ट्रैफिक बंद हो गया, क्योंकि सांसद और किसान भाइयों ने मिलकर राजनिवास का घेराव किया। उसके बाद पुलिस ने करीब दो सौ किसान भाइयो एवं सांसद को एबाडीन थाने में पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और लिखित में तथा ओरली प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जमीन नहीं लेकर मुआवजा दिया जाएगा। जब किसान भाई तथा सांसद जेल कस्टडी में था तो किसानों के परिवार सड़कों पर आ गए और पूरा ट्रैफिक ठप कर दिया। लेकिन 23 अप्रैल को प्रशासन, उपराज्यपाल, सभी ने यू-टर्न ले लिया और अब कह रहे हैं कि किसानों से जमीन सरैंडर करवाकर प्रति हेक्टेयर 9 लाख 39 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि किसान को 9 लाख 39 हजार रुपए देने के बाद भी एक हेक्टेयर जमीन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक हेक्टेयर जमीन की कीमत आज करीब-करीब 50-60 लाख रुपए है। इसलिए गृह मंत्री जी ने जो बात कही थी, उसके मुताबिक इसे प्राकृतिक आपदा माना जाए और प्रति हेक्टेयर 9 लाख 39 हजार रुपए के मुताबिक मुआवजा दिया जाए, जमीन नहीं लेकर। निकोबार द्वीपों में कुछ किसानों की कुछ जमीन बची हुई है, जहां नारियल पेड़ है और खोपरा बनाते हैं। खोपरा का मूल्य भारत सरकार 51 रुपए तय किया है, लेकिन कचाल द्वीपों में यह खोपरा सरकार की तरफ से ट्राइबल कॉपरेटिव 25 रुपए में खरीदते हैं और कैम्पबेल द्वीपों में एनकोफेड खोपरा 36 रुपए में खरीदती है। सुनामी किसानों की गाय, बकरी और भैंस भी मारी गई। आज तक उसके रुपए नहीं चुकाए हैं। मुआवजा के मुताबिक दस साल का फिक्सड डिपॉजिट बना दिया गया, जो किसान दस साल के पहले पालतू जानवरों का मुआवजा नहीं उठा पाएंगे, इसके लिए मैंने 15 जून, 2011 को आईडीए मीटिंग में प्रधानमंत्री से मांग किया था, जिस तरह से तमिलनाडु और केरल में किसानों के जानवर मरने पर भुगतान तुंत दिया गया था, उसी तरह से अण्डमान-निकोबार द्वीप समुह में इस फिक्स्ड डिपॉजिट को चैंज करके तुंत किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया था और आईडीए मीटिंग की मिनट्स में भी आया था, लेकिन आज तक उनको भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए मेरी मांग है कि जानवरों का पैसा तुंत दिया जाए तथा किसान की डूबी हुई जमीन न लेकर उन्हें जमीन का मुआवजा दिया जाए।